आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2017-19*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

# न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 14 अंक 12 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 25 जून, 2017 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

## न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मतभेद

# सरकार बनाम न्यायपालिका

*सुप्रीम कोर्ट ने उच्चस्तरीय न्यायपालिका में नियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर केन्द्र सरकार की चिन्ता का समाधान कर भावी नियुक्तियों के मार्गदर्शन संबंधी मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) का अंतिम ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को भेज दिया है। पर तीन माह बाद भी सरकार इसे दबाए बैठी है।*

*हाईकोर्ट में नियुक्तियों में देरी के मुद्दे पर सरकार व कॉलेजियम के बीच 18 माह तक मतभेद चलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जजों की नियुक्ति का एक तरीका बनाया व सरकार से कहा कि 5 जजों के कॉलेजियम के साथ विचार-विमर्श कर एमओपी बनाए।*

*जस्टिस जे.एस. खेहर ने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहला कदम उठाते हुए कॉलेजियम के अन्य जजों को समझाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की चिन्ता जायज है। वे चाहते हैं कि 27 अगस्त को उनके रिटायर होने से पहले मामला सुलझा जाए और जजों की नियुक्ति की राह की सभी अड़चनें खत्म हो जाएं।*

*कॉलेजियम ने फाइनल ड्राफ्ट में अपना प्रस्ताव सरकार को 10 मार्च को भेजा था कि अगर कॉलेजियम द्वारा जज के पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किसी नाम पर सरकार उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के पर्याप्त सुझाव देती है तो कॉलेजियम अवश्य उस नाम पर पुनर्विचार करेगा।*

*कॉलेजियम के अन्य चार वरिष्ठतम जज भी खेहर के फार्मूला पर सहमत थे क्योंकि इससे नियुक्तियों में कॉलेजियम का अंतिम आदेश चलने की परिपाटी भी बनी रहती। लेकिन केन्द्र इस पर भी सहमत नहीं लगता है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि केन्द्र सिर्फ अपनी आपत्ति ही व्यक्त कर सकता है। क्योंकि अगर न्यायपालिका ने आग्रह किया तो इसके पास चयन की स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा चार अन्य सदस्य जज हैं दीपक मिश्रा, जे. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई तथा मदन बी. लोकूर।*

*केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एमओपी संबंधी मुद्दे पर पूछे गये सवाल को टाल दिया और सिर्फ यही कहा कि "इस पर विचार चल रहा है।" वे तीन जज की कानून मंत्रालय की उपलब्धियों पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनके बर्ताव से पता चलता है कि सरकार व न्यायपालिका के बीच उच्च स्तरीय न्यायिक नियुक्तियों पर चल रहा विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कानून मंत्री ने 20 अप्रैल को भी कहा था कि एमओपी अंतिम चरण में है और सीजेआई ने इसके एक माह पहले 20 मार्च को कहा था कि नियुक्ति संबंधी एमओपी को मंजूरी मिल गई है और हाईकोर्ट के रिक्त पद जल्दी ही भरे जाएंगे।*

*सरकार दो कारणों से एमओपी को मंजूरी नहीं दे रही है। एक तो यह कि वह सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति व तबादलों पर वीटो चाहती है, दूसरे उसके राष्ट्रवादी कार्ड खेलते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी चयनित नाम को ठुकराने का अधिकार भी चाहती है।*

*कोलेजियम ने इस कार्य का जो फाइनल ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को भेजा था, वह केन्द्र व न्यायपालिका के बीच अक्टूबर 2015 से ही चल रहे विचार-विमर्श के कई चरणों के बाद बना था। इस ड्राफ्ट में कोलेजियम ने केन्द्र सरकार की यह मांग मान ली थी कि नियुक्तियों और तबादलों का काम देखने के लिए एक पृथक सचिवालय बनाया जाए। कोलेजियम के सदस्य पांच जजों का निजी स्टाफ यह प्रक्रिया देखे।*

*कोलेजियम नियुक्ति में अंतिम अधिकार इसलिए अपने हाथ में रखना चाहता है क्योंकि इसे आशंका है कि सरकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपनी पसंद के व्यक्तियों को ही जज नियुक्त करेगी।*

*जजों का कहना है कि दो संवैधानिक पीठों द्वारा इस विषय पर गंभीर चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट के जिन न्यायाधीशों को जजों के अंतिम चयन का अधिकार है, वे 2014 की घटना को दोहराना नहीं चाहते हैं, जब सीजेआई, आर.एम. लोढ़ा के नेतृत्व वाले कोलेजियम द्वारा प्रस्तावित पूर्व सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने से इनकार कर दिया था।*

*कोलेजियम ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल आर फली नरीमन और जस्टिस अरुण मिश्रा व आदर्श कुमार गोयल के नाम का प्रस्ताव भी रखा था जो कि तब अलग-अलग अदालतों में थे। पर तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यह फैसला नई सरकार पर छोड़ दिया था क्योंकि तब तक नए आम चुनाव की अधिसूचना लागू हो चुकी थी।*

*सत्ता पर काबिज होने के तुरन्त बाद एनडीए सरकार ने नरिमन, जस्टिस मिश्रा एवं गोयल के नाम को तो मंजूरी दे दी व सुब्रमण्यम की विश्वसनीयता के बारे में मीडिया में कुछ बातें भी लीक हुई जिससे उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा।*

## नीट जैसी परीक्षा से हो जजों की भर्ती

*निचली न्यायपालिका में जजों की भर्ती के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) जैसी परीक्षा कराने का प्रस्ताव किया है। खास बात यह है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के इस 60 साल पुराने प्रस्ताव का मानना शासित राज्यों समेत सात प्रदेश विरोध कर रहे हैं।*

*31 दिसम्बर, 2015 को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर की अधीनस्थ अदालतों में जजों के 20,502 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 4,452 पद रिक्त हैं। कानून मंत्रालय के सचिव (न्याय) की ओर से सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को लिखे एक पत्र के मुताबिक, 'स्नातक और स्नातकोत्तर के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीबीएसई द्वारा अपनाए गए नीट मॉडल पर विचार किया जा सकता है। नीट की प्रक्रिया के मुताबिक प्रवेश परीक्षा कराने, परिणाम की घोषणा और अखिल भारतीय रैंकिंग तैयार करने की जिम्मेदारी सीबीएसई की है।' दरअसल, 8 अप्रैल को त्वरित न्याय पर सरकार और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद मंत्रालय ने यह पत्र लिखा है। इस बैठक में निचली अदालतों में रिक्त पदों के मसले पर भी विचार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश आदर्श गोयल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केन्द्रीय चयन प्रणाली जैसे भर्ती के वैकल्पिक तरीकों का सुझाव दिया गया था। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए विभिन्न हाई कोर्ट और राज्य सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करते हैं। मालूम हो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक सेवा के गठन की केन्द्रीय योजना पर सबसे पहले 1960 में विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन विभिन्न पक्षों में जारी मतभेदों के चलते यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी।*

## सम्पादकीय .... ✍

# अदालत को गुमराह करने वालों को चेतावनी

**अभी** हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने नालों की सफाई को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बार-बार गलत जानकारी देने पर दिल्ली के लोक निर्माण विभाग को जमकर फटकार लगाई। खंडपीठ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अदालत को गुमराह करने वाली जानकारी मिलने पर अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

अदालत ने साउथ एक्सटेंशन में स्थित नाले की सफाई को लेकर वर्ष 2012 से चल रही याचिका पर सुनवाई के वक्त कहा कि बीते पांच साल से यहां नाले से मलबा व गाद निकालने का काम लोक निर्माण विभाग से कराने के लिए जूझ रहे हैं ताकि यहां रहने वाले लोग मानसून के दौरान बारिश होने पर जल भराव की समस्या से बच सकें। बार-बार न्यायालय द्वारा जल भराव को लेकर आदेश पारित किये जाते हैं और आप बार-बार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते रहते हैं। न्यायालय ने कहा कि मौके का मुआयना करने के बाद लोकल कमिश्नर द्वारा जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना स्थल पर सफाई के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह मामला अधिकारियों को जेल में डालने के लिए पर्याप्त है। उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्यों न इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेज दिया जाये?

यह पहला अवसर नहीं जब सरकारी अधिकारियों द्वारा न्यायालय आदेशों के प्रति कभी गंभीर नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि अधिक से अधिक न्यायालय उन्हें डांट लगाकर छोड़ देगा। देश की अदालतों में करीब साढ़े तीन करोड़ मुकदमे लम्बित हैं जिसमें 70 से 80 प्रतिशत मामलों में सरकार एक पक्षकार है और सरकारी अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत होकर न केवल न्यायालय को गुमराह करते हैं बल्कि बेखौफ झूठे शपथ पत्र देने से भी परहेज नहीं करते। किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि हमारे देश की न्यायपालिका भी झूंठे शपथ पत्रों को लेकर गंभीर नहीं है। यदि न्यायपालिका झूंठे शपथ पत्र देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन अधिकारियों को जिन्होंने न्यायालय के समक्ष झूंठे शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं उन्हें जेल भेजे तो न केवल न्यायालयों में मुकदमों की संख्या घटेगी बल्कि अदालत को गुमराह करने वाले अधिकारियों को भी सबक मिल सकेगा। मुझे हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता के समक्ष मैंने एक ऐसे ही सरकारी अधिकारी द्वारा झूंठे शपथ पत्र की तरफ ध्यान दिलाया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका इसे गंभीरता से नहीं लेती।

# सबसे खतरनाक दौर में प्रेस की आजादी

पेरिस। प्रेस की आजादी को जितना खतरा आज है उतना पहले कभी नहीं था। यह बात निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कही है। संस्था के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पिछले साल के मुकाबले भारत तीन पायदान नीचे खिसक कर 136वें स्थान पर आ गया है।

संस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से 'फर्जी खबरों पर भावनात्मक रूप से बह जाने के दौर' को लेकर आगाह किया है। रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप के चुनाव प्रचार और ब्रिटेन के ब्रेक्जिट जनमत संग्रह की मीडिया से 'अत्यधिक कटु' आलोचना की। दुनियाभर में सत्तावादी ताकतों में वृद्धि हो रही है जो प्रेस की आजादी और निगरानी बढ़ा रहे हैं। प्रेस की आजादी को सीमित करने की कोशिशों पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा गया है, लोकतांत्रिक देशों में हालात सच्चाई से परे भावुक अपीलों, दुष्प्रचार और आजादी के दमन के दौर में है। लोकतांत्रिक देश सूचकांक में लगातार नीचे खिसक रहे हैं। इस गिरावट को रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही।

रिपोर्ट में भारत की पत्रकारिता के लिए 'मुश्किल परिस्थिति' वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश भी इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में प्रेस की आजादी की बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय बहसों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यधारा की मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप का चलन बढ़ा है। पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन दुष्प्रचार और धमकी देने की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

### रिपोर्ट की खास बातें

- प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले और उत्तर कोरिया आखिरी स्थान पर है। बीते छह साल तक पहले पायदान पर रहा फिनलैंड तीसरे नम्बर पर पहुंच गया है।
- कई देशों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में कमजोर रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और चिली दो-दो स्थान की गिरावट के साथ क्रमश: 40वें, 43वें और 33वें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड आठ स्थान की गिरावट के साथ 13वें स्थान पर है।
- रूस में प्रेस की आजादी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। वह पिछले साल की तरह 148वें स्थान पर ही बना हुआ है। जुलाई के नाकाम तख्तापलट के बाद तुर्की की स्थिति भी भयावह हो गई है।
- भारत, रूस, चीन सहित 72 देशों में प्रेस की आजादी को लेकर हालात गंभीर है। इन देशों में मीडिया को निशाना बनाने की घटनाएं सामान्य हो गई हैं।

# फेसबुक पर 12 करोड़ डॉलर से अधिक का जुर्माना

## व्हाट्स ऐप के सौदे में गलत जानकारी देने का आरोप

यूरोपीय संघ (ईयू) ने मैसेजिंग सर्विस व्हाट्स ऐप के सौदे में गलत जानकारी देने के आरोपमें सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर 12 करोड़ डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया है। ईयू ने कहा कि वर्ष 2014 में हुए इस सौदे के बारे में फेसबुक ने गलत जानकारियां दी। फेसबुक पर जुर्माना लगाने वाले ईयू के प्रतिस्पर्धा निगरानी संगठन यूरोपीय कमीशन ने इसे उचित जुर्माना बताया है।

यूरोपीय कमीशन का कहना है कि फेसबुक ने बताया था कि वह फेसबुक और व्हाट्स ऐप के यूजर्स के अकाउंट को ऑटोमैटिक तरीके से मैच नहींकर सकता है लेकिन दो साल बाद उसने ऐसी सेवा शुरू की। कमीशन ने पाया कि वर्ष 2014 में ही फेसबुक और व्हाट्स ऐप के यूजर्स की पहचान मैच करने की तकनीकी संभावनाएं मौजूद थीं लेकिन व्हाट्स ऐप को खरीदते समय फेसबुक ने यह जानकारी छुपाई। फेसबुक के कर्मचारियों को इस तकनीकी संभावना की पूरी जानकारी थी।

# 'आधार व पैन कार्ड को जोड़ने की अनिवार्यता गैर-कानूनी नहीं'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस वर्ष से आयकर की रिटर्न दाखिल करने के लिए 16 अंकों वाले यूनिक आइडेंटिटी नम्बर (आधार) को पर्मानेंट अकाउंट नम्बर (पी ए एन पैन) के साथ जोड़ने की अनिवार्यता को बरकरार रखा है।

अपने निर्णय में आंशिक रूप से राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं उन लोगों को तब तक छूट रहेगी जब तक कि व्यापक निजता मुद्दों पर निर्णय नहीं हो पाता है।

न्यायाधीश ए.के. सीकरी व अशोक भूषण की बैंच, जिसने इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर सरकार से कहा है कि आधार कार्ड के लिए पंजीकरण करते समय लोगों से उनकी जो निजी जानकारी प्राप्त की जाती है उसे लीक होने से रोकने के लिए सख्त उपाय करें। कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास आधार व पी ए एन (पैन) दोनों हैं वे आयकर का रिटर्न दाखिल करते समय आधार व पैन को रिटर्न के साथ लिंक करें। परन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वित्त विधेयक 2017 में संशोधन के द्वारा रिटर्न के साथ जोड़ने की जो अनिवार्यता बनाई गई है वह पूर्वव्यापी (पिछली) तिथि से लागू नहीं होगी तथा यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों ने यदि पूर्व में बिना आधार विवरण के रिटर्न दाखिल कर दी है तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा।

तथापि, कोर्ट ने निर्णय में यह भी कहा कि यदि आपने आधार के लिए आवेदन कर दिया है और अभी तक 16 अंकों वाले आधार के नम्बर प्राप्त नहीं हुए हैं तो इस वर्ष आपको रिटर्न दाखिल करने के लिये इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यह राहत केवल एक वर्ष के लिए ही दी गई है और एक बार जब आधार नम्बर का आवंटन हो जाएगा तो उसके बाद यह छूट नहीं मिलेगी।

न्याय पीठ ने कहा कि यह संसद की ओर से कानून बनाने के उसके औचित्य पर सवाल नहीं उठा सकता है। आयकर अधिनियम में संशोधन करके आधार को प्रभावी बनाने से न ते समानता के आधार के अनुच्छेद 14 का और न ही बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकारों वाले अनुच्छेद 19 का कोई उल्लंघन होता है।

याचिकाकर्ता का यह तर्क कि,आधार से जोड़ने का विकल्प स्वैच्छिक होना चाहिए न कि अनिवार्य, कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया तथा स्पष्ट किया कि निजता से संबंधित ऐसा कोई निर्णय नहीं है जिसमें कहा गया हो कि आधार पर अत्यधिक बल दिए जाने से व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।

## सीनियर जज भी शामिल थे डील में

# गायत्री ने दस करोड़ में खरीदी जमानत

इलाहाबाद। प्रदेश की सपा सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री और बहुचर्चित गैंगरेप केस में जेल में बन्द मुख्य आरोपी गायत्री प्रजापति को 25 अप्रैल को पॉक्सो कोर्ट से मिली जमानत पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच में सामने आया है कि गायत्री प्रजापति को साजिश के तहत जमानत दी गई और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की डील की गई थी। इस डील में सीनियर जज भी शामिल थे। गायत्री प्रजापति को 25 अप्रैल को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ओ.पी. मिश्रा ने गैंगरेप केस में जमानत दी थी। इस मामले की जांच के आदेश इलाहाबाद के चीफ जस्टिस दिलीप बी. भोंसले ने दिए थे जिसमें न्यायिक फैसलों में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जांच रिपोर्ट के अहम खुलासों में कहा गया है कि गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ था। पांच करोड़ बिचौलिए की भूमिका निभा रहे तीन वकीलों को दिए गए और बाकी के पांच करोड़ रुपए सुनवाई करने वाले जज ओ.पी. मिश्रा और उनकी पोस्टिंग कराने वाले जिला जज राजेन्द्र सिंह को दिए गए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी. भोंसले ने इस गोपनीय रिपोर्ट में ओ.पी. मिश्रा की पॉक्सो जज के रूप में की गई तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से तैनात जज लक्ष्मीकांत राठौर को पद से हटाकर रिटायरमेंट से ठीक तीन सप्ताह पहले 7 अप्रैल 2017 को ओ.पी. मिश्रा की तैनाती का कोई औचित्य नहीं था। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 24 अप्रैल को उन्होंने जज ओ.पी. मिश्रा ने जमानत दी जबकि अभी मामले की जांच चल रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस जमानत के मामले में करप्शन के बारे में बताया था। इसके बाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने जज ओ.पी. मिश्रा को सस्पेंड कर दिया था। जांच के घेरे में आए जिला जज राजेन्द्र सिंह से भी पूछताछ की गई है।

# एनडीटीवी के मालिकों पर सीबीआई का छापा

## पत्रकार संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने जताया विरोध

सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक को करोड़ों का चूना लगाने के लिए रोल (मुखौटा) कंपनियों के मार्फत करोड़ों के काले धन के इस्तेमाल के आरोप में एनडीटीवी चैनल के मालिक प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर क्वांटम सिक्यूरिटीज के निदेशक व एनडीटीवी के पूर्व कर्मी संजय दत्त की शिकायत के आधार पर की गई है।

सीबीआई ने प्रणव, राधिका और एनडीटीवी के दिल्ली व देहरादून स्थित चार ठिकानों पर छापे मारे। एनडीटीवी ने इन छापों को जानबूझकर परेशान करने की कार्यवाई करार दिया है।

आरोप है कि प्रणव और राधिका ने एनडीटीवी के अधिकांश शेयरों पर कब्जे के लिए एक तीसरी कंपनी को शेयर बेचने का फैसला किया। यह कंपनी राधिका रॉय, प्रणव रॉय होल्डिंग्स के नाम से उनकी ही थी। चूंकि एनडीटीवी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए उसकी जानकारी सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को देना जरूरी था। लेकिन जानकारी नहीं दी गई। यही नहीं, शेयर खरीदने के लिए इंडिया बुल्स से 2007 में 439 करोड़ का कर्ज लिया गया। बाद में इण्डिया बुल्स का कर्ज लौटाने के लिए आइसीआइसीआई बैंक से 375 करोड़ का कर्ज लिया गया।

आईसीआईसीआई बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए एनडीटीवी के ही शेयरों को गिरवी रखने के एवज में यह कर्ज दिया था। कर्ज 19 फीसदी ब्याज पर दिया गया था, लेकिन बैंक ने 350 करोड़ लेकर ही इसे सुलटा दिया। इस तरह बैंक को 48 करोड़ का घाटा हुआ। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि बैंक को हुए घाटे की जांच तो होगी ही, साथ उसे चुकाने के लिए जिस तरह से रकम जुटाई गई वह भी जांच के घेरे में है। आरोप है कि बैंक का कर्ज चुकाने से पहले राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग्स के खाते में 403 करोड़ रुपए आए थे। यह रकम आधा दर्जन मुखौटा कंपनियों के माध्यम से घुमाकर लाई गई थी। बताया जाता है कि इन कंपनियों का कोई कारोबार नहीं है। इसमें से भी बैंक को केवल 350 करोड़ दिया गया और बाकी के पैसे प्रणव रॉय के निजी खाते में चले गए। उधर एनडीटीवी ने अपने मालिकों पर छापे को दुर्भावनापूर्ण और प्रेस की आजादी पर सियासी हमला करार दिया है। चैनल ने एक बयान में कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को एनडीटीवी टीम की आजादी और निडरता पच नहीं रही है। सीबीआई के छापे मीडिया को खामोश करने की ओर कोशिश है।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पत्रकारों तथा सभी मीडिया संगठनों ने सीबीआई द्वारा 5 जून को टीवी समाचार चैनल एनडीटीवी के सह संस्थापक प्रणव रॉय के निवास पर छापे मारे जाने की कड़ी निन्दा करते हुए इसे मोदी सरकार के अनुकूल नहीं चलने वाले स्वतंत्र मीडिया को डराने की कोशिश बताया।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा ''एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'' दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, इंडियन वुमन्स प्रेस कॉर्प्स, प्रेस एसोसिएशन तथा अन्य मीडिया संगठनों के सहयोग तथा अन्य मीडिया संगठनों के सहयोग से आयोजित इस मीटिंग में इन छापों को, एक स्वर में, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की संज्ञा दी गई।

दिग्गज पत्रकार तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी ने तो मीडिया से यहां तक कहा कि वो प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों, जिन्हें शौरी ने उनका (मोदी का) बंधुआ मजदूर बताया, का बहिष्कार करें।

सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा बार एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष फली एस नरीमन (88) ने इस घटना को मीडिया पर अन्यायपूर्ण हमला बताया तथा कहा कि यह बात कितनी बेतुकी एवं हास्यास्पद है कि सीबीआई ने किन्हीं संजय दत्ता, जो तृतीय पक्ष हैं, की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके छापा मार दिया। शिकायत में कहा गया था कि एनडीटीवी के सह-संस्थापकों, प्रणव रॉय तथा उनकी पत्नी राधिका रॉय ने प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई से 350 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। उन्होंने कहा कि और भी मजेदार बात यह है कि यह ऋण फिलहाल नहीं, बहुत पहले 2008-09 में लिया गया था।

नरीमन ने कहा कि सीबीआई को संजय दत्त से कह देना चाहिए था कि वे अदालत में आपराधिक मुकदमा दायर करें तथा इस कार्यवाही को करने से पहले, सीबीआई को यह जानने के लिए कम से कम पूछताछ तो करनी ही चाहिए थी कि रॉय दम्पत्ति को इस मामले में क्या कहना है।

नरीमन ने रेड की घटना को उस घटना से जोड़ा, जब एनडीटीवी के एक एंकर, एक टीवी शो के दौरान भाजपा प्रवक्ता सम्बित पात्रा से उलझ गए थे, क्योंकि पात्रा ने शो के दौरान एनडीटीवी पर आरोप लगाया था कि उसका (चैनल का) तो एजेंडा ही सरकार-विरोधी है। नरीमन ने कहा कि पात्रा से जब एंकर ने कहा कि वो शो से चले जायें तथा उनके लिए दूरदर्शन के महिमामंडित संस्करण में जाना बेहतर होगा, उसके बाद ही छापों की कार्यवाही हुई, जिससे हम सबको चिन्तित होना चाहिए। अरुण शौरी ने वहां उपस्थित मीडिया को चेताया कि मोदी एक ऐसी सर्वाधिकारवादी सरकार चला रहे हैं जो आने वाले दिनों में मीडिया के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को समाप्त कर देगी, मीडिया के मुंह को बंद कर देगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि सरकार को होश में लाने के लिये, इसके सारे प्रचार-प्रसार को रोक दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रचार-प्रसार सरकार के लिये ऑक्सीजन, अर्थात प्राणवायु होती है तथा मीडिया को चाहिए कि वह सरकार को यह प्राणवायु प्रदान करने से इनकार कर दे।

अन्य कई पुराने पत्रकारों, जिनमें कुलदीप नैयर, एस.के. दुआ के अतिरिक्त अरुण पुरी, राज चेंगप्पा, ओम थानवी तथा राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे, ने सरकार के उन तौर-तरीकों पर चिन्ता जताई जो योजनाबद्ध तरीके से स्वतंत्र मीडिया का मुंह बंद करने के लिये अपनाये जा रहे हैं। प्रणव रॉय, जिन्हें प्रेस क्लब द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया था, ने कहा कि राधिका, मैं और एनडीटीवी आपसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि हमने कभी भी काले धन को छुआ तक नहीं है। हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी है। हमने अब तक जो कुछ भी खरीदा है, सफेद पैसे से खरीदा है। हम अंतिम सांस लेते समय भी यही कहेंगे कि हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम, इसके बाद भी, सदैव प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन छापा मारने की कार्यवाही, 9 वर्ष पुराने प्रकरण में की गई है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक से उधार लिये सारे पैसे को चुकाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस रेड से जो संदेश दिया जा रहा है वो स्पष्ट है, ''झुक जाओ अन्यथा हम आपके पीछे पड़ जायेंगे। मैं कहता हूं, उनके सामने खड़े होईये और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे।'' हम सीबीआई जैसी एजेंसियों से नहीं लड़ रहे। वे तो भारत के संस्थान हैं। इस सब की जड़ तो राजनेता हैं। अधिकारियों ने हमें बताया है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है। प्रणव ने कहा, हमारी लड़ाई संजय दत्त के खिलाफ भी नहीं है। वह भी एक माध्यम हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यूज किया जा रहा है। उसकी मां एक अद्भुत महिला है। उन्होंने संजय सहित, हम पांचों को एक साथ बुलाया तथा संजय से कहा : बेटा, ये भले लोग हैं। तुमने गलती की है। जब भी मैं प्रार्थना करती हूं तो मैं तुम से ज्यादा इनके लिये प्रार्थना करती हूं। रॉय ने आगे कहा कि मुझे अपने राजनेताओं को लेकर शर्म आती है कि वे जी ई पैसे की लांडरिंग का आरोप लगा सकते हैं। तीन साल में, सरकारी वकील ने 21 स्थगन लिये हैं, अन्यथा एनडीटीवी के खिलाफ गढ़ा गया वह सारहीन मुकदमा अब तक असफल हो गया होता।

इस बीच, सूचना-प्रसारण मंत्री एम वैंकय्या नायडू ने कहा कि कुछ दिन पहले हुई घटना में विच-हंट जैसी कोई चीज नहीं है, जैसा कि एनडीटीवी का आरोप है। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी के किसी दफ्तर या स्टूडियो पर छापा नहीं मारा गया है, संवीक्षा तो रॉय दम्पत्ति के आवासों की गई है। उन्होंने कहा कि जब सीबीआई ने कोई कदम उठाया है तो उसके पास कोई सूचना या जानकारी होगी। यह सरकार दखलन्दाजी में यकीन नहीं करती है। सरकार पर प्रहार करते हुए नरीमन ने कहा कि जहां प्रेस की स्वतंत्रता की गारन्टी तो संविधान द्वारा दी गई है, पर बोलने के बाद की स्वतंत्रता की कौन गारन्टी देता है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न उठाते हुए कि सीबीआई को क्यों इतनी जल्दी थी और उसने संजय दत्त को क्रिमिनल केस दर्ज कराने के लिये क्यों नहीं कहा, जबकि यह एक निजी शिकायत थी, उन्होंने कहा कि यह नि:संदेह प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। वरिष्ठ पत्रकार एस के दुआ ने आपातकाल के दिन याद दिलाये, जब प्रेस की स्वतंत्रता को काटा गया था, और कहा कि संकेत उसके समान नहीं है पर यदि कुछ नहीं किया गया तो परिणाम उनके सामने होंगे।

उन्होंने सरकार को विजय माल्या व ललित मोदी को देश से भाग जाने देने, और एनडीटीवी पर मामूली कारणों के लिये छापा मारने के लिये लताड़ते हुए यह कहा कि अन्य सभी के लिये चेतावनी है कि यदि आप लाइन में नहीं लगे, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रतिष्ठित पत्रकार व द हिन्दू के पब्लिशर एन. राम ने लंदन से एक संदेश में कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो दबाव में आ गई है, को हर कीमत पर बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई का एक बदनाम व्यक्ति की निजी शिकायत पर लगभग एक दशक पुराने मामले में कार्यवाही करना भारतीय न्यूज टेलीविजन की सबसे स्वतंत्र तथा भरोसेमंद आवाज, एनडीटीवी को दबाने का एक भौंडा प्रयास है। एक रोचक घटनाक्रम में एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार, राजदीप सरदेसाई, जो हैदराबाद गये हुए थे, ने प्रणव रॉय और एनडीटीवी के समर्थन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी, पर बरखा दत्त, जो एनडीटीवी के कारण एक बड़ी स्टार बन गई हैं, और जिन्होंने अपने कार्यशील जीवन का अधिकांश भाग इस चैनल के साथ गुजारा है, की अनुपस्थिति सभी को अखरी। विशेषकर जबकि प्रेस क्लब प्रबंधन ने उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिये अनेक संदेश भेजे थे।

## हमें प्रेस की आजादी का पाठ न पढ़ाएं : सीबीआई

*नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने न्यूयार्क टाइम्स को पत्र लिखकर कहा है कि वह प्रेस की आजादी का पाठ न पढ़ाए। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय और पत्नी राधिका रॉय के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी के बाद न्यूयार्क टाइम्स ने संपादकीय में लिखा था कि भारत का स्वतंत्र मीडिया पस्त हो चुका है। सीबीआई भारत में बड़े बैंक डिफाल्टरों के ठिकानों पर छापे नहीं मारती, पर एक निजी बैंक के मामले में प्रणव के यहां छापेमारी की गई।*

*अखबार के इस संपादकीय में लेख की भाषा और उसके तंज पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौर ने न्यूयार्क टाइम्स को पत्र लिखकर कहा है कि भारत को प्रेस की आजादी टाइम्स ग्रुप से नहीं सीखना है।*

### यह था मामला

एनडीटीवी के सह-संस्थापक प्रणय रॉय के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसके बाद न्यूज चैनल एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई की ओर से बिना प्रारंभिक जांच के एनडीटीवी के दफ्तरों और प्रोमोटरों के घर पर छापेमारी की घटना हैरान करने वाली है। चैनल ने पत्रकारों की सभा बुलाई थी।

*2014 में जब से मोदी ने सत्ता संभाली, पत्रकारों को काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।*

**-न्यूयार्क टाइम्स**

*भारत को टाइम्स की प्रेस की आजादी के बारे में पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है।* **-सीबीआई**

# आरबीआई बड़े लोन डिफाल्टरों पर कार्यवाही करेगा?

**वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई इन डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रहा है, जिनसे नये इन्सॉल्वेंसी कानून के तहत वसूली की जायेगी**

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) बड़े लोन डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रहा है। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि डूबे कर्ज की वसूली के लिए अब आरबीआई डिफाल्टरों की सूची तैयार कर रहा है। इस सूची में वे कर्जदार शामिल होंगे जिनसे इन्सॉल्वेंसी कानून के तहत वसूली की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद जेटली संवाददाताओं के समक्ष अपने कामकाज की समीक्षा की। जेटली ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में कार्यवाही होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) उन कर्जदारों की सूची तैयार कर रहा है जिनसे जुड़े फंसे कर्ज यानी एनपीए के संकट का समाधान दिवालियेपन कानून के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने पिछले महीने ही फंसे कर्ज के मामलों के समाधान के लिए अध्यादेश जारी कर बैंकिंग नियमन कानून 1949 में संशोधन किया था ताकि रिजर्व बैंक को नॉन परफोर्मिंग असैट्स (एनपीए) के मामलों में और अधिक शक्तियां मिल सकें।

इस अध्यादेश के जरिये सरकार ने आरबीआई को यह अधिकार दिया है कि वह बैंकों को एनपीए वसूलने के लिए दिवालियेपन पर नए कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने को कह सकता है। सरकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि नए अध्यादेश के तहत आरबीआई वैसे कर्जदारों की सूची तैयार कर रहा है। जिन पर फंसे कर्ज के मामलों को सुलझाने के लिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आइबीसी) के प्रावधानों का इस्तेमाल करना है। जल्द ही इस बारे में उपाय देखने को मिलेंगे। आरबीआई इस पर काम कर रहा है। कुछ बैंकों ने एनपीए अध्यादेश को जारी करने के लिए जरूरी ढांचागत व्यवस्था के बारे में आशंका भी जताई है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। बैठक में मौजूद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस.एस. मूंदड़ा ने कहा कि एनपीए पर अध्यादेश को लागू करने के लिए दो-तीन चीजों की जरूरत है।

इसके लिए सबसे पहले ओवरसाइ कमेटी का आकार और उसका दायरा स्पष्ट होना चाहिए।

# बीकानेर में दुष्कर्म के झूठे मामले दर्ज कराने वाला गिरोह पकड़ा

बीकानेर। मालदार लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमों में उलझाने की धमकी देकर लाखों रुपयोंकीवसूली करने वाली तीन शातिर युवतियों समेत उनके साथ शामिल दो युवकों के खिलाफ व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जाता हैकि इस गिरोह ने देशनोक के प्रॉपर्टी कारोबारी को अपने जाल में फंसाकर अम्बेडकर कॉलोनी के एक मकान में बंधक बना लिया और उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे की धमकी देकर दस हजार वसूली के अलावा चार लाख रुपये बकाया होने की लिखा-पढ़ी के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिये।

इस मामले का परिवाद दर्ज होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने गिरोह में शामिल मुक्ता प्रसाद निवासी सलमा बानो और अम्बेडकर कॉलोनी निवासी जुबैदा तथा मोहम्मद हसन नामक युवक को पकड़ लिया है जबकि उनके साथ शामिल मुक्ता प्रसाद निवासी शानू उर्फ हसीना तथा शंशक नामक युवक अभी पकड़ में नहीं आया है। बताया जाता हैकि गिरोह में शामिल शंशाक ने खुद को पुलिसकर्मी बताककर पीड़ित को धमकाया था, जो बैंककर्मी बताया जाता है। जानकारी के अनुसार इस हमउम्र युवतियों के गिरोह ने शहर के कई व्यवसायी लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की वसूली की है लेकिन फिलहाल मुकदमा एक जने ने ही दर्ज करवाया है। मामला संगीन किस्म के अपराध का होने के कारण पुलिस इसकी गंभीरताा से जांच कार्यवाही में जुटी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देशनोक का प्रॉपर्टी कारोबारी सीताराम खत्री गत दिनों यहां बीकानेर आया हुआ था, इस दरम्यान कोटगेट पर उसकी मुलाकात शानू उर्फ हसीना से हो गई और शानू ने अपने हुस्न के जलवे दिखाते हुए सीताराम को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, दोनों के बीच कुछ दिन मोबाईल पर बातचीत होती रही और शानू ने सीताराम को अपनी सहेली सलमा का भूखण्ड बेचवानी की बातचीत के लिये अम्बेडकर कॉलोनी की गली नम्बर छह में जुबैदा के मकान पर बुलवा लिया, जजहां तीनों युवतियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और मोहम्मद हुसैन को मौके पर बुला लिया।

मोहम्मद हुसैन ने आते ही पीड़ित के साथ मारपीट शुरू कर दी और योजना के मुताबिक जुबैदा ने पीड़ित पर बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस को मौके पर बुलाने की धमकी देने लगी, थोड़ी ही देर में शशांक नामक युवक पुलिसकर्मी बन कर आया और पीड़ित को दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसे भयभीत कर दिया और उसकी जेब से दस हजार रुपये निकाल लिये तथा सीताराम से सौ रुपये के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा चार लाख रुपये बकाया होने की लिखा-पढ़ी करवा ली। दिनभर जुबैदा के मकान में बंधक बनाये रखने के बाद देर शाम सीताराम कोयह कह कर छोड़ दिया कि अगर पुलिस कार्यवाही या कोई कानूनी कार्यवाही कराई तो तेरे खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा देंगे।

घटना के शिकार हुए सीताराम ने अपने एक परिचित को आपबीती सुनाई तो परिचित उसे व्यास कॉलोनी थाने ले गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सीताराम की रिपोर्ट के आधार पर शानू उर्फ हसीना, जुबैदा, सलमा, मोहम्मद हुसैन और शशांक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी, इस दरम्यान जुबैदा, सलमा और मोहम्मद हसन तो पुलिस के हत्थे चढ़ गये लेकिन शानू और शशांक अभी पकड़ में नहीं आये हैं।

# कोर्ट ने पूछा, 11.35 लाख फर्जी पैन कार्ड का आंकड़ा छोटा कैसे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के 10.52 लाख फर्जी पैन कार्डों के आंकड़े को देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिहाज से बेहद छोटा नहीं बताया जा सकता। यह आंकड़ा ऐसे कुल दस्तावेजों का 0.4 प्रतिशत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है कि 11.35 लाख फर्जी या नकली पैन नम्बरों की पहचान की गई है और इनमें से 10.52 लाख मामले व्यक्तिगत करदाताओं से जुड़े हैं।

अदालत ने पैन कार्ड को जारी करने और टैक्स रिटर्न दाखिल करने में आधार को अनिवार्य बनाने की आयकर कानून की धारा 139 एए को वैध ठहराते हुए 157 पन्नों के फैसले में ये बातें कहीं। हालांकि अदालत ने तब तक के लिये इसे लागू किये जाने पर आंशिक रोक लगा दी, जब तक उसकी संवैधानिक पीठ आधार से जुड़े निजता के अधिकार के वृहद मुद्दे पर गौर नहीं कर लेती।

कानून की धारा 139एए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड के आवंटन की याचिका दायर करने के लिए आधार या उसके लिए किए गए आवेदन के पंजीकरण संबंधी जानकारी देने को अनिवार्य बनाती है। यह बात एक जुलाई से लागू होनी है। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि याचियों ने यह दलील देने की कोशिश की कि फर्जी पैन कार्ड वाले लोग महज 0.4 प्रतिशत हैं, इसलिए ऐसे किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाले इस पीठ ने कहा- हम फीसद के आंकड़ों के हिसाब से नहीं चल सकते। इस तरह के मामलों की सटीक संख्या 10.52 लाख है। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और देश पर बुरा प्रभाव डालने के लिहाज से इस संख्या को छोटा नहीं माना जा सकता। पीठ ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की ओर से दायर अभ्यावेदनों में कही गई इस बात पर गौर किया कि फर्जी पैन कार्डों का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को धन पहुंचाने में किया जाता था।

इस बात पर पीठ ने कहा- तथ्य यह है कि कंपनियां अंतत: कुछ लोगों की ओर से ही चलाई जाती हैं और इन लोगों को अपनी पहचान दिखने के लिए दस्तावेज पेश करने होते हैं। कर प्रणाली में आधार को लेकर आना कालेधन या काला धन सफेद करने पर रोक लगाने के उपायों में से एक है। इस योजना को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इस उद्देश्य की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकेगी।

इसमें कहा गया- इस बुराई की जड़ें बहुत गहरी हैं और इससे निपटने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। ये कदम एकसाथ उठाए जा सकते हैं। इन कदमों के मिले-जुले नतीजे आ सकते हैं और यह जरूरी नहीं कि अलग-अलग तौर पर उठाया गया प्रत्येक कदम काफी हो।

# एक हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है पूर्व एएसपी

कोच्चि। नागालैंड का एक पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति का मालिक हो सकता है। पूर्व एएसपी के करीब तीस ठिकानों पर छापेमारी केबाद आयकर विभाग ने यह अनुमान लगाया है। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी के पास कुल कितनी संपत्ति है, आयकर विभाग ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि वे पूर्व एएसपी एमकेआर पिल्लै की अघोषित संपत्ति को लेकर बाद में एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

आयकर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नागालैंड समेत देशभर में पिल्लै के 30 ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। वह बोले, 'कुछ स्थानों को सील कर दिया गया है। जांच पूरी होने पर हम रिपोर्ट दाखिल करेंगे।'

एक अनुमान के अनुसार, केरल के एक प्रमुख कारोबारी समूह से जुड़े पिल्लै की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है। अधिकारी ने कहा, हमारे अधिकारियों ने कोच्चि में छापेमारी के दौरान पिल्लै से भी पूछताछ की। अभी जब्त की गई संपत्ति का मूल्य नहीं बताया जा सकता।

## कांस्टेबल के रूप में की करियर की शुरूआत

मध्य त्रावणकोर के पंडलम के रहने वाले पिल्लै ने 70 के दशक में नागालैंड पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में करियर की शुरूआत की थी। वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। तब से वह एक कारोबारी समूह के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रहा था। राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता पिल्लै का नागालैंड में कार्यकाल के दौरान कई दिग्गज शख्सियतों से करीबी संबंध रहा है। नोटबंदी के बाद से ही वह आयकर विभाग के निशाने पर था।

## खरी-खरी

# संविधान-कानून-नियम उल्लंघन की शिकार कृषि

डॉ. मानचन्द खण्डेला 9462817770
E mail :
manchandkhandela.@gmail.com

वर्तमान में कई राज्यों में जो किसान आन्दोलन चल रहा है वह मूलतः आर्थिक ही है चाहे इसे राजनैतिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी इसके संवैधानिक और कानूनी पहलू भी हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि कृषि पर आयकर नहीं लगेगा। नीति निर्देशक तत्वों में दसवीं कक्षा तक की शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने, शराब बंदी को यथा शीघ्र लागू करने, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने जैसी बातें जो किसान से परोक्षतः जुड़ी हैं का उल्लेख भी है। क्योंकि देश की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। जबकि सरकारी संस्त्रों के आधार पर ही किसान की प्रति माह आय एक हजार सात सौ रूपये ही है। जिसमें उसे कुल पांच लोगों को जिन्दा रखना होता है। जबकि संविधान में ही हर नागरिक को गौरव सहित जीने का अधिकार दिया गया है। स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि इतनी कम आय में देश की दो-तिहाई जनसंख्या गौरवपूर्ण तो छोड़िये जिन्दा भी कैसे रह सकते हैं ? एक और शर्मनाक तथ्य है समाजवाद शब्द का संविधान की प्रस्तावना में होना जिसका सीधा मतलब होता है देश की सम्पत्ति और संसाधनों पर सरकार के माध्यम से आम जनता का होना। भारतीय संदर्भ में माना जा सकता है कि किसान, श्रमिक और आमजन का होना जबकि हालात इतने भयावह हैं कि देश के प्रथम सात धनी लोगों के पास सबसे गरीब 91 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। इसका समान सा वितरण हो तो स्वाभाविक रूप से किसान का ही ज्यादा भला होगा।

इसी प्रकार कानूनी रूप से भी किसान का हर प्रकार से शोषण ही हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक ही उदाहरण काफी है कि विगत तीन वर्षों में इन बिजनिश संबंधी तीन हजार कदम उठाये गये हैं जबकि कृषकों को किये गये वादों को पूरा करवाने के लिए भी गोलियां खानी पड़ रही है जबकि निर्वाचन आयोग सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि हर राजनैतिक दल को अपनी चुनाव पूर्व घोषणाओं के सम्बन्ध में संभावित संसाधन संग्रह का पूरा ब्यौरा देना होगा। जबकि वह इस बात पर कोई कार्रवाई तब भी नहीं करता जब केन्द्रीय सरकार सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा नहीं करने की बात कहता है। ऐसे में किसान क्या करे ? आज देश में कृषकों का आंदोलन जितनी तेजी से सारे देश में फैलता नजर आ रहा है उससे इस मुद्दे को नकारना संभव भी नहीं है क्योंकि यह विषय अब पूरी तरह से आर्थिक हो गया है। क्योंकि लम्बे समय के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि के लिए ऋण, किसानों के ऋणों की माफी, कृषि, बीमा, सेवानिवृत्त कृषक को पेंशन, भविष्य निधि कृषि हेतु बिजली, कृषि उपज मंडी सामूहिक व कंपनी खेती, सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता जैसे विषय व्यापक पैमाने पर संगठित रूप से तथा तर्कपूर्ण तरीके से एक साथ उठाये गये हैं। जिनका आंदोलन का विरोध करने वालों के पास भी उपयुक्त उत्तर नहीं है। ऐसे में जबकि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले इस मद को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करना सामयिक एवं जरूरी है।

स्वामिनाथन जो भारत में हरित क्रान्ति के जनक, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक तथा राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे हैं कि अध्यक्षता वाले आयोग ने ही कृषि उत्पादों के मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उत्पादन लागत का ..... करने का प्रस्ताव रखा था तथा उत्पादन लागत में कृषक के श्रम एवं कृषि भूमि की लागत को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। हर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यह ही तर्क दिया जाता रहा है कि कृषि उत्पादों का इस आधार पर मूल्य बढ़ाने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बहुत बढ़ जायेगा। जिस कारण से सामान्य श्रमिक, कर्मचारी, सैनिक आदि सभी वर्गों के वेतन भत्तों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जिसके व्यापक सकारात्मक प्रभाव ..... पर पड़ेंगे। एक सीमा तक यह तर्क सही हो सकता है लेकिन पूरी तरह से, तर्कपूर्ण नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये जाना जरूरी है। केन्द्र सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकारों के अनुसार कृषक की प्रति माह आय केवल सतरह रूपये के करीब है, 53 प्रतिशत कृषक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, केवल 6 प्रतिशत किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। इसी प्रकार आंकड़े बताते हैं कि देश में 34 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है, 80 प्रतिशत किसानों के पास औसतन 2 एकड़ से कम भूमि है, किसी भी सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता है। बीस प्रतिशत कृषक खेती छोड़ना चाहते हैं। नवीन आर्थिक नीति के पच्चीस सालों में लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं जिसका प्रमुख कारण ऋण नहीं चुका पाना ही रहा है। वर्तमान में अधिकांश कृषि उत्पादन समर्थन मूल्य से भी कम पर बेचना पड़ रहा है। सरकारों के अनुसार लागत में किसान के श्रम एवं भूमि की कीमत को भी आधार बनाया जाये कृषि लागत में बड़ी वृद्धि हो जाती है। प्रायः किसी भी राज्य में कृषि हेतु लगातार 8 घंटे बिजली नहीं मिलती है। 5 से 20 प्रतिशत कृषि उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचने तक चूहों, पक्षियों तथा कीड़े-मकोड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। आढतियों द्वारा आज भी ठगी की जा रही है।

जब जो राजनैतिक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें सरकारों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। तब ही सरकारें नहीं चाहते हुए भी कर्ज माफी का रास्ता आन्दोलन शांत करने पर अपना रही है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने इस हेतु वित्त जुटाने के लिये बोण्ड्स जारी करने के विकल्प को स्पष्ट रूप से अपना चुका है, इस कारण से महंगाई बढ़ने के डरसे ही अपनी त्रेमासिक घोषणा में कोई परिवर्तन ब्याज दर में कमी का नहीं हुआ है। जबकि वित्त मंत्री ऐसा करने को आतुर हैं। जबकि यथार्थ यह है कि उत्तर प्रदेश जो शुरूआत करीब 31 हजार करोड़ रूपयों के माफ करने की जो शुरूआत की है उसका प्रभाव कम या अधिक सभी राज्यों में पड़ना निश्चित है। किसान संगठन जिन पर बड़े किसानों का ही कब्जा है सभी ऋणों को माफ करने की मांग पर अड़ रहे हैं। ऐसे में देश भर में करीब 9 लाख करोड़ रूपयों का ऋण अन्ततः माफ करना पड़ेगा। स्वाभाविक है उसकी पूर्ति बाद संभव हो ही नहीं सकती है। ऐसे में सरकारों के पास अकेला विकल्प ऋण लेना और विकास परियोजनाओं पर कैंची चलाने का रह जाता है। वर्तमान नियमोंके अनुसार वित्तीय घाटा जीडीपी का तीन प्रतिशत से ज्यादा कमतर हो जाता है। ऐसे में राज्य सरकारों के सामने 'इधर पड़ो तो कुंआ व उधर पड़ो तो खाई' की सी स्थिति हो जाती है। सरकारें विकल्प चाहे कुछ भी चुने जनता को ही उसका भार अधिक कर भार या कम विकास के रूप में भुगतना है। क्योंकि कोई भी सरकार वोट बैंक को देखते हुए किसानों को किसी भी बात के लिये सीधे तर्कपूर्ण तरीके से ना कहने की स्थिति में नहीं है।

दूसरी ओर रिजर्व बैंक का मानना है कि बोण्ड जारी कर इस काम के लिये धन जुटाना न स्थाई हल है न आर्थिक सिद्धान्तों व भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। देश के सबसे बड़े बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने साफ कर दिया है कि इस तरह की ऋण माफी से ऋणियों की ऋण चुकाने की मानसिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा कृषि विकास की संभावनाएं भी कम होती जाएंगी। क्योंकि कोई भी ऋणदाता किसान को ऋण देने से बचेगा, ऋण लेने वाला किसान व अन्य संरक्षित वर्ग वाला व्यक्ति ऋण चुकाने को बेवकूफ समझने लगेगा। कुतर्कपूर्ण बहाने बनाकर विभिन्न वर्ग वोट का डर दिखा कर ऋण माफी को हथियार के रूप में काम लेने का प्रयास करेगा। बड़े ऋणी जो चुकाने में सक्षम हैं अपनी कौशल विद्या एवं प्रबंध कला से अपनी माफी के रास्ते निकालने में लग जायेंगे। उसका ऋण माफ तो मेरा क्यों नहीं ? का ऐसा कुचक्र चलेगा जिसे रोक पाना संभव ही नहीं हो सकेगा। जहां तक किसानों का सवाल है वे तो सीधे प्रधानमंत्री द्वारा किये चुनाव पूर्व के वादों की याद दिलवा कर अपनी मांग के लिए सशक्त तर्क हर जगह रख सकते हैं। यह असंभव बात है कि अभी तक इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है।

ऋण माफी की समस्या ही जब इतनी भयानक है तो समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना करना तो असाध्य रोग जैसा है क्योंकि केन्द्रीय सरकार सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर यह कह चुकी है कि ऐसा किया गया तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी। वैसे अब किसानों की मांगों का जो पूर्णतः अतार्किक नहीं है को सीधे रूप से नकारा जा भी नहीं सकता है। कोई भी सरकार दीर्घावधि तक करीब 80 करोड़ लोगों की आजीव को केवल आश्वासनों के सहारे दबा कर रख भी नहीं सकती है। ऐसे में सरकारों के पास एमएसपी को किसी मूल्य सूचकांक से जोड़ना ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कृषि मंडियों, छोटी बैंक शाखाओं, प्रोसेसिंग उद्योग पर विशेष ध्यान देने, किसान से मिट्टी जांच के नाम पर अपनी इच्छा से खेती करने का अधिकार नहीं छीनने, कृषि बीमा को सैद्धान्तिक से व्यावहारिक बनाने, किसान को बुढ़ापे में पेंशन आदि का निश्चित सहारा देने, कृषि के उन्नयन हेतु गंभीर प्रयत्न करने, इस क्षेत्र में स्टार्टएप जैसी योजना बनाने, नई पीढ़ी को इस ओर आकर्षित करने हेतु सभी क्षेत्रों में प्रयास करने जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे।

अब ऐसे आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है कि पांच साल में कृषक की आय दो गुणा कर दी जायेगी। ऐसा होता हुआ दिखने के स्थान पर बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कृषि इनपुट्स में मिलावट, गांवों में जाकर एमएसपी पर खरीद, सीमान्त कृषकों को सब्सिडी, कृषक वर्ग को आरक्षित वर्ग जैसी सभी सुविधाओं, कृषक के श्रम का मौद्रिक मूल्यांकन जैसे मुद्दों पर तो तत्काल यथानुसार कदम उठाने की जरूरत देश की अर्थव्यवस्था को बचाये रखने के लिए जरूरी है। राजनेताओं को अब यह मान लेना चाहिए कि उन्हें चुनाव पूर्व किये हर वादे को गंभीरता से लेकर पूरा करने का सार्थक प्रयास करना होगा। वे अब यह मानना छोड़ दें कि जनता की याददास्त बहुत कमजोर होती है। तब किसान वर्ग जिसके पास शिक्षा, सूचना, तकनीक, शक्ति, सम्पर्क आदि सबकुछ तुलनात्मक रूप में बहुत कम होने पर भी वह इतना संगठित ? बेबाक, निडर, तर्कपूर्ण होकर आंदोलित हो सकता है तो अन्य वर्ग भी ऐसा कर ही सकते हैं। भविष्य में आर्थिकी ही राजनीति को प्रभावित करेगी यह किसान आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है।

इस संदर्भ में सीधी सी बात यह है कि सभी सरकारें कृषि संबंधी सभी संवैधानिक, कानूनी एवं आदेशों संबंधी प्रावधानों को लागू करने, निर्वाचन आयोग लागू करवाने, सर्वोच्च न्यायालय चुनावी घोषणाओं की क्रियान्विति के अभाव में प्रसंज्ञान लेने के कदम कठोरता से उठाये। सरकारें उद्योग एवं कृषि को दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं एवं रियायतों में तर्कपूर्ण समन्वय स्थापित करे, अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को व्यवहार में समझा जाये, कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात नीति के नियमों को राष्ट्र हित में बनाकर उन्हें लागू करे तथा सबसे महत्वपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था को मजाक बनने से रोका जाये याने अमेरिका की तरह ही एंटी ग्लोबलाइजेशन की नीति को यथानुसार अपनाया जाये।

# पार्थ चटर्जी ने सेना प्रमुख को जनरल डायर बताया

नई दिल्ली। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में आज तक कभी सेना का शासन नहीं हुआ। सेना को राजनीति से दूर रखा गया। सेना पर सदैव देश ने गर्व किया है। हर कदम पर देश की सरकार और जनता ने सेना का साथ दिया है। लेकिन यह पहला मामला है जब देश में सेना पर सवाल उठाये जा रहे हैं। पत्थरबाजों से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जान बचाने के लिए सेना के एक मेजर द्वारा उठाये गये कदम की आलोचना हो रही है।

दरअसल, कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ-साथ कश्मीरी राजनीतिक दलों के विरोध के बीच साहित्यकार पार्थ चटर्जी ने पत्थरबाज को जीप की बोनट से बांधने पर सेना की आलोचना की। मेजर गोगोई को सम्मानित करने के लिए सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की तुलना जलियांवाला बाग में निहत्थों पर गोलियां बरसाने का आदेश देने वाले क्रूरता के पर्याय रहे अंग्रेज अफसर जनरल डायर से कर डाली। पार्थ चटर्जी ने इंटरव्यू में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में सेना वैसे ही नये आइडियाज अपना रही है जैसे जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक जीती हुई कॉलोनी जैसी हो गई है। पार्थ ने कहा कि घाटी में हिंसा से निपटने के लिए सेना वही रणनीति अपना रही है जैसी जनरल डायर ने अपनाई थी। कश्मीर में आज हालात उतने ही खराब हैं, जितने जनरल डायर के समय थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जनरल अयूब के शासन जैसे हालात भी देखने को मिलेंगे। इस लेखक ने सेना पर सीमा के अंदर और बाहर दोनों ओर लोगों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। ट्विटर पर इतनी आलोचना झेलने के बावजूद पार्थ चटर्जी अपने बयान पर कायम हैं। पार्थ के इस बयान पर मीडिया में यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। सोशल साइट पर बहस छिड़ गई कि मेजर लितुल गोगोई की शांतिपूर्ण कार्रवाई की आलोचना उचित है या पार्थ का यह बयान 'सेना से गद्दारी' है। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा है कि वामदल और वाम समर्थक बुद्धिजीवी विदेशी ताकतों का समर्थन कर अपने देश की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने पार्थ चटर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है।

## ''सत्यमेव जयते''

हमारे देश में एक निर्लज्ज तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हीं में से एक पार्थ चटर्जी भी है। अपने नाम को चमकाने के लिए घटिया स्तर की बयानबाजी और लेख लिखते हैं और भूल जाते हैं कि तुलना करने के वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। उन्हें या तो डायर के बारे में पता नहीं है और उन्हें यह भ्रम है कि देश के लोगों को इसका पता नहीं है तो पहले तो डायर के बारे में ही जान लें ''हो सकता है कि हमारी नई पीढ़ी शायद जनरल डायर जैसे हत्यारे के कारनामों से पूरी तरह वाकिफ नही हो इसलिए उस पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी है। ब्रिगेडियर जनरल रिगनोल्ड डायर को अमृतसर का कसाई कहा जाता है। इसके हुक्म से जलियांवाला बाग में एक जलसे में भाग ले रहे निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थीं जिसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार 379 निर्दोष लोग मारे गए थे जबकि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या डेढ़ से दो हजार तक के बीच थी। इस हत्याकांड ने समूचे विश्व को हिला दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ी कि ब्रिटिश सरकार को समूचे पंजाब में मॉर्शल लॉ लगाना पड़ा।''

**अब जरा मेजर गोगोई पर विचार कर लें।**

अजीब बात है कि इस लेखक ने एक पत्थरबाज फारूख अहमद डार को भी बेकसूर करार दे दिया है जो कि लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान कश्मीरियों को भारतीय सेना पर हमला करने के लिए भड़का रहा था। मतदान केन्द्र स्टाफ ने सेना की मदद मांगी और मेजर गोगोई एक जीप लेकर मतदान केन्द्र के स्टाफ को बचाने के लिए मौके पर पहुंच गए। जब वहां पर हजारों की भीड़ जमा थी और वह स्टाफ और सेना पर अंधाधुंध पथराव कर रही थी। मेजर गोगोई ने उनके एक नेता को पकड़कर सैनिक जीप पर बांध दिया। यह उन्होंने इसलिए किया ताकि पत्थरबाज भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा सैनिकों को अपना निशाना न बनाएं।

जब यह वीडियो मीडिया में प्रसारित हुआ तो तथाकथित मानवाधिकारों के ठेकेदारों ने देशभर में हंगामा मचा दिया। इस घटना के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उसने इस घटना की जांच के निर्देश दे दिए। इस वामपंथी लेखक को मेजर गोगोई की यह कार्रवाई फूटी आंख नहीं भाई और उसने अपने लेख में जमकर निशाना बनाया है। लेखक ने इस बात की आलोचना की है कि जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही सेना प्रमुख जनरल रावत ने मेजर गोगोई को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र क्यों दे डाला। सवाल यह पैदा होता है कि एक पाकिस्तानी एजेंट फारूख अहमद डार ने इस वामी लेखक की सहानुभूति का क्या कारण है? लेखक ने इस बात की भी आलोचना की है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल रावत ने मेजर गोगोई की कार्रवाई को सर्वथा उचित ठहराया।

देश के इन तथाकथित मानवाधिकारों के रक्षकों एवं पैरोकारों ने कभी एक शब्द भी कश्मीर से हत्या, लूट एवं बलात्कार के बाद भगाये गये लाखों कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं कहा? सेना पर पत्थरबाजी पर भी ये लोग मौन रहते हैं? पिछले दिनों कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटने पर उसकी मौत पर भी इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ऐसे ही बवाल मचाया था जबकि अपराध करने वालों को कानून के अनुसार गिरफ्तार भी कर लिया गया था।

# संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख को कहा 'सड़क का गुंडा'

## जनता के विरोध के बाद ट्विटर पर माफी मांगी कांग्रेस नेता ने

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत को 'सड़क का गुंडा' कहकर भारतीयों में रोष जगा दिया। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर माफी मांग ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संदीप दीक्षित को पार्टी से बर्खास्तगी की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगने को कहा है।

कांग्रेस सांसद और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा, 'पाकिस्तानी सेना की तरह हमारी माफिया सेना नहीं है, जो सड़क के गुंडे की तरह बयान दे।' उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में गहराई और सज्जनता है। वह एक महान संस्था है। उसकी अपनी एक कार्यसंस्कृति है। मुझे नहीं लगता कि सेना प्रमुख ने इस जज्बे को मान रखा है। मेरा मानना है कि सेना प्रमुख ने भारतीय सेना की छवि के अनुरूप कुछ नहीं किया है। सेना प्रमुख को राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए।

हालांकि बाद में अपनी ही पार्टी का खुलकर समर्थन न मिलने पर संदीप दीक्षित ने ट्विटर पर क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरे सेना प्रमुख से कुछ मतभेद हैं इसलिए मुझे उचित शब्दों का इस्तोल करना चाहिए था। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं।

हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नीम अफजल ने संदीप दीक्षित की इस बदजुबानी से किनारा करते हुए कहा, 'हमारी पार्टी सेना की वैसे ही इज्जत करती है, जैसे इस देश की जनता। अगर सेना प्रमुख के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

इस बीच, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। कांग्रेस की हिम्मत कैसे हुई भारतीय सेना प्रमुख को 'सड़क का गुंडा' कहने की। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बयान स्तब्धकारी है। देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहने को भारतीय लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया गांधी को ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भी माफी मांगनी चाहिए। पात्रा ने कांग्रेस पर ऐसे बयान देने की परम्परा बताते हुए कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 'खून की दलाली' शब्द का इस्तेमाल किया था।

उल्लेखनीय है कि जनरल रावत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मेजर लीतुल गोगोई का बचाव करते हुए कहा था कि घाटी में पत्थरबाजों से बचने के लिए एक कश्मीरी आदमी को सेना की जीप पर बैठाना उचित था। उन्होंने कहा था, 'अगर इन पत्थरबाजों ने हम पर पत्थर फैंकने के बजाय गोली मारी होती तो मैं खुश होता। तब हम वह कर सकते थे जो हम करना चाहते थे।' सेना प्रमुख के इस बयान की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की थी।

# 196 सांसदों ने दी ट्रंप पर मुकदमा चलाने की अर्जी

वाशिंगटन। अमेरिकी संसदीय इतिहास की बड़ी घटना में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के 196 से ज्यादा सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा चलाने की मांग की है। फेडरल कोर्ट में दी गई अर्जी में इन सांसदों ने ट्रंप पर विदेशी सरकारों से अपने कारोबारी फायदे के लिए धन लेने का आरोप लगाया है। यह कार्य उन्होंने संसद की अनुमति लिये बगैर किया। यह साफ तौर पर अमेरिकी कानून का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालने के बाद अपने सैंकड़ों कारोबारियों के जरिये विदेशी सरकारों से धन लिया। उन्होंने कांग्रेस की अनुमति के बगैर यह धन लिया। कानून के अनुसार उन्हें विदेशी सरकारों से कोई भी फायदा लेने के लिए संसद से अनुमति लेनी चाहिए। विपक्षी सांसदों की इस याचिका पर फिलहाल व्हाइट हाउस ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं की है। लेकिन यह कहा है कि राष्ट्रपति ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके कहीं से लाभ नहीं कमाया है। जिन सांसदों ने राष्ट्रपति के खिलाफ अर्जी पर दस्तखत किये हैं उनमें 30 सीनेट के सदस्य हैं जबकि 166 प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी मसले पर संसद पहली बार राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। अमेरिकी संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति संसद की स्वीकृति के बगैर विदेशी सरकार से कोई आर्थिक लाभ या उपहार नहीं ले सकता है।

सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेथाल के मुताबिक राष्ट्रपति ने हमें विदेशी सरकारों से मिले लाभ के बारे में नहीं बताया, जबकि उन्हें नियमानुसार ऐसा करना चाहिए था। प्रतिनिधि सभा के सदस्य जॉन कॉनयर्स ने याचिका में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 25 देशों से फायदा उठाया है। न्याय मंत्रालय ने विपक्षी सांसदों की अर्जी पर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। हाल के दिनों में ऐसी ही अर्जी मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल और अन्य की तरफ से भी दी गई है। उक्त अर्जी में कहा गया है कि ट्रंप ने विदेशी और अमेरिकी सरकारों से अपने होटलों और रिजॉर्ट में ठहरने और आवभगत के नाम पर धन वसूला।

## हार्दिक बधाई

**श्री अग्रवाल समाज समिति,**

जयपुर के निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर

**श्री ओमप्रकाश जी अग्रवाल** (ईंटों वाला)

को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु :- श्रीगोपाल शर्मा (प्रधान सम्पादक, न्यायिक ज्वाला)

एडवोकेट्स- विष्णुकान्त शर्मा, बलदेव सिंह भाटी, सुनील ओझा, अजय कुमार बंसल, अमित गुप्ता, पारस कुमार मोदी, विकास जोशी, विष्णु जोशी

# संवेदनशील बनाये हुए न्यायाधीश महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं

## सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यत: पीड़ित की गवाही पर शक नहीं किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ''सामाजिक रूप से संवेदनशील जज'' महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को निपटाने के लिए दंडात्मक प्रावधानों से भी बेहतर एवं कारगर साबित होते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि जजों को बलात्कार के मामलों की सुनवाई के दौरान संवेदनशील होना चाहिए तथ पीड़ित की गवाही पर हमेशा शक नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं केविरुद्ध हुए यौन अपराधों के झूठे आरोप लगाकर अपना सम्मान दांव पर नहीं लगा सकती।

निर्भया मामले में चारों दोषियों के मृत्यु दण्ड को सही ठहराते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सामान्यतया बलात्कार पीड़ित महिला की गवाही पर शक नहीं किया जाकर उस पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसमें कोई गंभीर खामियां नहीं हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में पीड़ित के बयानों के पुष्टिकरण की अनिवार्यता नहीं होनी और आरोपी को केवल महिला की गवाही के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है। यदि वह गवाही स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हो।

काफी समय से चली आ रही यह धारणा कि पीड़ित की गवाही की अन्य साक्ष्यों से पुष्टि होना आवश्यक है, को अब हटा देना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादी है न कि खुला व वर्जनाहीन समाज। सामान्यतया एक महिला विशेषत: युवती अपनी अस्मत के सम्बन्ध में झूठे आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकती। यह विचार न्यायमूर्ति आर.भानुमति ने निर्भया मामले में निर्णय देते वक्त व्यक्त किये।

न्यायमूर्ति भानुमति ने कहा कि पीड़ित की गवाही का पुष्टिकरण कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है अपितु एक सावधानी का नियम है इसलिए न्यायालयों को इस पर जोर नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि अभियोस्त्री की गवाही पर बिना मुख्य बातों का पुष्टिकरण किये कार्यवाही नहीं की जा सकती। पीड़ित का स्थान एक घायल गवाह से ऊंचा होता है। लेकिन यदि न्यायालय को यह लगता है कि अभियोस्त्री के बयानों को ज्यों का त्यों स्वीकार करना मुश्किल है तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य ढूंढ सकती है जिससे उसकी गवाही को पुख्ता किया जा सके।

बलात्कार के आरोपी की सुनवाई करते वक्त न्यायालयों को पूर्णतया संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्हें मोटे तौर पर मामले की सम्भावनाओं का परीक्षण करना चाहिए तथा उन छोटे-मोटे विरोधाभासों एवं विसंगतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो ऐसे गवाहों के साक्ष्य के दौरान सामने आई हो जिनका मामले में कोई विशेष महत्व नहीं है। अब यह पूर्णतया तय नियम है कि बलात्कार के अपराध की दोषसिद्धि केवल मात्र अभियोस्त्री की गवाही के आधार पर की जा सकती है यदि उसकी अन्य साक्ष्यों जैसे मेडिकल साक्ष्य एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे केमिकल जांच, वैज्ञानिक परीक्षण इत्यादि से पुष्टि हो गई हो और पीड़ित की गवाही स्वाभाविक एवं विश्वसनीय हो।

न्यायमूर्ति भानुमति ने शीर्ष कोर्ट के कि ''हमारा मानना है कि एक सामाजिक रूप से संवेदनशील जज महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों को ठीक तरह से निपटाने के लिए, दंड संहिता में दिये गये लम्बे, जटिल प्रावधानों, अपवादों की तुलना में, एक बेहतर विधिक हथियार है।''

न्यायालयों को उन विसंगतियों पर अनावश्यक महत्ता नहीं देनी चाहिए जिनके द्वारा उन विरोधाभासों को पीड़िता के साक्ष्यों में से उठाने का प्रयास किया जाता है जो कि तुच्छ एवं अप्रभावी हैं।

# अदालत पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति

## कहा– कोर्ट ने ऐसे वक्त में यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ फैसला दिया जो देश के इतिहास का है सबसे खतरनाक समय

वाशिंगटन। चरमपंथियों से मुकाबले को अमेरिका वीजा प्रतिबंध को अपने मजबूत हथियार के रूप में देखता है। शायद इसलिए अमेरिकी अपीलीय अदालत के फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, 'जैसा अनुमान था, कोर्ट ने दोबारा ऐसा किया। ऐसे समय में यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ फैसला दिया जो हमारे देश के इतिहास का सबसे खतरनाक समय है।' अपीलीय कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संशोधित शासकीय आदेश पर रोक लगाने वाले फैसले को बरकरार रख चुकी है, जिसमें छह मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था। अब अमेरिकी न्याय विभाग अपीलीय अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि वीजा प्रतिबंध किसी धर्म के खिलाफ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर है। ट्रंप जानते हैं कि जिस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, उसे उन आतंकियों से रोजाना का खतरा है जो कट्टर विचारधारा में यकीन रखते हैं। अमेरिकी आव्रजन व्यवस्था में घुसपैठ करने के लिए सक्रिय रूप से षड्यंत्र रचे जाते हैं। 9/11 से पहले भी ऐसा ही हुआ था। सेशंस संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर अमेरिकी अपीलीय कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

जजों कीपीठ ने कहा था कि ट्रंप ने शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर अपने अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर कदम उठाया है। यह मुस्लिों पर प्रतिबंध जैसा है। सेशंस ने कहा, राष्ट्रपति अमेरिकी जनता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये संकल्पित हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राष्ट्रपति अपने सऊदी अरब के दौरे में भी वीजा प्रतिबंध पर अमेरिका की स्थिति को साफ कर चुके हैं। ट्रंप ने जिस शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किया है, उसमें 120 दिनों के लिए सभी शरणार्थियों के अमेरिका आने पर भी प्रतिबंध है।

### राजस्थान के गांव को मिला डोनाल्ड ट्रंप का नाम

वाशिंगटन। सुलभ इंटरनेशनल ने भारत-अमेरिकी सम्बन्धों को मजबूत बनाने की दिशा में रोचक पहल की है। संस्था के प्रमुख प्रख्यात समाजसेवी बिन्देश्वरी पाठक ने भारत के एक गांव का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। पाठक वाशिंगटन डीसी के पास एक उपनगरीय इलाके में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम में बोल रहे थे। पाठक ने बताया कि इस गांव को राजस्थान के मेवात क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।

# 3 पिता के 96 बच्चे, कहते हैं अल्लाह की देन

*नई दिल्ली। पाकिस्तान में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने का कारण वहां के लोगों की सोच है। उनका मानना है कि अल्लाह उनकी जरूरतें पूरी करेगा। वहां ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बढ़ती जनसंख्या आर्थिक लाभ और सामाजिक कार्यों को प्रभावित कर रही है। उनका मानना है कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले।*

*यहां हर महिला के कम से कम 3 बच्चे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में 3 पिता के 96 बच्चे हैं, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 96 बच्चों के पिता गुलजार खान ने कहा, 'अल्लाह ने पूरी दुनिया और इंसानों को बनाया है, इसलिए मैं कौन होता हूं बच्चा पैदा करने की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकने वाला।' साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी गर्भवत है। गुलजार ने बताया, हम मजबूर होना चाहते हैं। उनका कहना है कि क्रिकेट मैच खेलने के लिए उनके बच्चों को दोस्तों की जरूरत नहीं है।*

*बता दें कि पाकिस्तान में बहुविवाह वैध है। लगभग वहां के सभी लोगों की सोच एक जैसी है।*

# फरारी में ही रिटायर हुए जस्टिस कर्नन

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन रिटायर हो गए। जस्टिस कर्नन देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो फरार रहते हुए रिटायर हुए हैं। यही नहीं, वे हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज भी बन गए जिन्हें उनके रिटायर होने पर कोई औपचारिक विदाई नहीं दी गई। वे अपने 62वें जन्मदिन के दिन ही रिटायर हुए हैं।

जस्टिस कर्नन पर देश की शीर्ष अदालत और न्याय व्यवस्थाा की अवमानना का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात वरिष्ठ जजों की संविधाान पीठ ने बीते नौ मई को छह माह कैद की सजाा सुनाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया थाा। इस आदेश के बाद से ही वे फरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते समय जस्टिस कर्नन के बयानों की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी थी। जस्टिस कर्नन पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ और छह माह कैद की सजा सुनाई गई।

# देश में तीन करोड़ 98 लाख एकल महिलाएं

भारत में तीन करोड़ 98 लाख महिलाएं एकल जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं, जिनमें से आधी से अधिक महिलाएं गरीब हैं। राष्ट्रीय एकल नारी अधिकाार मंच की ओर से किए एक सर्वे के अनुसार इनमें विधवा महिलाओं की संख्या तीन करोड़ 41 लाख 62 हजार 051 तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं, 22 लाख 86 हजार 788 तथा अविवाहित महिलाएं (30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की) 33 लाख 17 हजार 719 हैं।

### राजस्थान समेत 6 राज्यों में सर्वे

मंच की सचिवालय सदस्य डॉ. जिनी श्रीवास्तव के अनुसार इनमें से अधिकतर महिलाएं बिखरे घर, टूटे सम्बन्धों, वैधव्य, बीमारी, बच्चों की परवरिश, अशिक्षा, सामाजिक बंधनों, शोषण, अत्याचार, दोहन, एकाकीपन, आजीविका कमाने आदि चुनौतियों से अकेली जूझ रही हैं।

मंच ने सर्वे में बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान की एकल महिलाओं की जानकारी संग्रहित की है। पिछले दो दशकों में बच्चियों का स्कूलों में नामांकन बहुत बढ़ा है, लेकिन बहुत सी वयस्क महिलाएं इस बदलाव का भाग नहीं रही है और आज भी अशिक्षित हैं। उत्तर भारत में स्थिति दक्षिण भारत के मुकाबले अधिक खराब है। दक्षिण भारत में महिलाओं को पीहर से अधिक सहयोग मिलता है। शोध के अनुसार 67 प्रतिशत महिलाएं अपने ससुरालपक्ष के परिवारजनों के साथ ही एक परिवार में रह रही थी। सर्वे में बताया गया कि सम्पूर्ण देश में 27 प्रतिशत महिलाएं अपने पीहर के गांव में रह रही थीं, जबकि दक्षिण भारत में यह आंकड़ा 43 प्रतिशत है और उत्तर भारत में केवल छह प्रतिशत ही है, लेकिन उत्तर भारत में 4 प्रतिशत और दक्षिण भारत में छह प्रतिशत महिलाएं ही अपने भाई या पिता के परिवार के साथ रह रही हैं। सर्वे के अनुसार आधी से भी अधिक सहभागी 45 वर्ष से कम आयु की हैं।

# कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज कर्णन कोयंबटूर में गिरफ्तार

## जस्टिस कर्णन को गत 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में 6 माह की सजा सुनाई थी, कर्णन तभी से फरार थे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज सी.एस. कर्णन को मंगलवार को तमिलनाडु के कोयबबटूर में गिरफ्तार कर लिया गया। 62 साल के जस्टिस कर्णन 9 मई के बाद से ही फरार चल रहे थे।

उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने कैद की सजा सुनाई थी। ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी पद पर बैठे हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में जेल की सजा दी। जस्टिस कर्णन गत 12 जून को अपने पद से रिटायर हुए हैं।

जस्टिस कर्णन के वकील मैथ्यू के नेदुमपारा ने कर्णन की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल दो-तीन दिन पहले ही कोयंबटूर गए थे। अब पुलिस उन्हें कोलकाता ले गई है। कर्णन के मामले का सुप्रीम कोर्ट के वक्त मैथ्यू ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके मुवक्किल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं। इसलिए कर्णन को यह जानने का अधिकार था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने किस कारण उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया है।

गौरतलब है कि जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कर्णन ने सीबीआई को इस मामले में जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक खंडपीठ का गठन किया गया, जिसने जस्टिस कर्णन के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना से जुड़ी कार्रवाई शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट ने दो बार जस्टिस कर्णन को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कर्णन कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई।

---

फोन : 0141-2590350
मो. 9928397848
दिनांक : 1 जून,2017

सेवामें,

श्री सम्पादक जी/प्रकाशक जी
सर्व सेवा संघ 'सर्वोदय जगत'
राजघाट वाराणसी (यू.पी.)

मान्यवर,

सादर जय जगत। अति संकोच के साथ निम्न प्रपत्रों के क्रम में प्रासंगिक निवेदन कर रहा हूं :-

1. गत दिनांक 23-25 मार्च, 2017 को आयोजित संघ के अधिवेशन (मोतीहारी विहार) में सर्व सेवा संघ द्वारा सम्मिलित हुए 5 लोकसेवकों में मैं भी एक था। किसी भी भूल के कारण संघ के मुख पत्र 'सर्वोदय जगत' में ही मेरा नाम प्रकाशित नहीं होना आक्षेप है। प्रमाण के लिए राजस्थान प्रदेश सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष महोदया द्वारा मुझे प्रेषित पत्र दिनांक 14.4.17 की फोटो प्रति प्रेषित है। उचित समझें तो भूल सुधार कर सूचित करेंगे।
2. पिछले दिनों वाराणसी में हुए सम्पूर्ण क्रान्ति सम्मेलन के अवसर पर आपसे आपके कार्यालय में आपसे मिलकर दिये गये परिचय के साथ मेरे नाम से एक पत्रकार (संस्थापक मंडल- 'न्यायिक ज्वाला' जयपुर) के लिये 'सर्वोदय जगत' निःशुल्क भेजने के निवेदन को आपने स्वीकार किया था पूर्व में भी संस्था द्वारा निवेदन किया जाता रहा है। उचित समझें तो बढ़ने में योग्य करावें।
3. सर्व सेवा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री विद्रोही जी का मेरे नाम का एक पत्र दिनांक 21-4-17 की फोटो प्रति संलग्न है। जिसके द्वारा उन्होंने मेरे नाम से सर्वोदय जगत भिजवाने की बात कही है और चाहा है कि मैं आपको आपके पत्र 'सर्वोदय जगत' हेतु प्रकाशनार्थ प्रासंगिक कविताएं भेजता रहूं। कृपया उचित समझें तो योग्य करावें।
4. कुछ दिन पूर्व 'सर्व सेवा संघ' के प्रवक्ता श्री भवानी शंकर जी कुसुम तथा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती आशा जी बोथरा द्वारा मेरा संक्षिप्त परिचय चाहा था। एक तो संकोच दूसरे आंखों की असाध्यता में विलम्ब हुआ। एक कारण यह भी रहा कि 4-5 लाइनों में क्या लिखूं क्योंकि 60 वर्ष का प्रयास सर्वोदय विचार प्रधान जीवन बीता है। फिर भी एक मित्र के सहयोग और पारिवारिक मदद से यह संक्षिप्त परिचय श्री भवानी शंकर जी को ई-मेल और मोबाइल द्वारा अनेक बार अनेक फोटो के साथ भेजा परन्तु बताया गया कि फोटो साफ नहीं है। बच्चों ने कहा कि सीधे आपको डाक से भेज दिया जाए। उसकी प्रति संलग्न है। ठीक समझें तो उपयोग करावें।

सतत्, सफाई हेतु यदि अपना ई-मेल का पता भेज देवें तो कृपा होगी। उत्तर-समाधान पत्र की प्रतीक्षा रहेगी।

सादर वन्दन

विनीत
(रामदयाल खण्डेलवाल)


पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

| | | |
|---|---|---|
| आजीवन | : | रू. 1500/- |
| वार्षिक शुल्क | : | रू. 100/- |
| मासिक | : | रू. 10/- |
| एक प्रति | : | रू. 5/- |

*न्यायिक ज्वाला*
*एसबी-3, ओटीएस के सामने,*
*जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर*
*फोन : 2701029, 2710110*


## संक्षिप्त परिचय

**रामदयाल खण्डेलवाल लोक सेवक**
पुत्र स्व. श्री गोविन्द नारायण जी
स्थाई पता- 4, सचिवालय कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर (राजस्थान)
फोन : 0141-2590350,
मो. नं. 9928397848
ई-मेल : mkjprca@gmail.com

जन्म तिथि : 8 जनवरी, 1937
शिक्षा : हाई स्कूल यू.पी. बोर्ड से प्रथम पॉजीशन से वर्ष 1953 में हिन्दी विशारद

**रचनात्मक ( सर्वोदय ) क्षेत्र से जुड़ाव :-**

1. **खादी क्षेत्र से जुड़ाव :-**
   प्रदेश में अनेक प्रादेशिक संस्थाओं की व्यवस्था, भागीदारी, प्रत्यक्ष संस्थाओं का निर्माण और संचालन।
2. **प्रत्यक्ष सर्वोदय क्षेत्र से जुड़ाव :-**
   - जिला सर्वोदय मण्डल बीकानेर प्रत्यक्ष क्षेत्र (मंत्री से अध्यक्ष)
   - प्रदेश सर्वोदय मण्डल (राजस्थान समग्र सेवा संघ) का मंत्री
   - सर्व सेवा संघ से प्रत्यक्ष प्रादेशिक वैचारिक जुड़ाव
3. **गांधी दर्शन प्रणीत विचार दर्शन से जुड़ी संस्थाओं से प्रत्यक्ष पदेन जुड़ाव :-**
   - राजस्थान प्रदेश नशाबंदी समिति - मंत्री (मेरे मंत्रीकाल में राजस्थान में पूर्ण शराब बंदी हुई)
   - राजस्थान गो सेवा संघ का मंत्री - ट्रस्टी आदि
   - सर्वोदय केन्द्र खीमेल - मंत्री
   - राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि - मंत्री
   - श्री गोकुल भाई भट्ट स्मारक समिति - मंत्री
   - वाणी मन्दिर समिति, जयपुर
4. **प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और सानिध्य :-**
   (1) सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, (2) श्री सिद्धराज ढड्ढा, (3) श्री सोहन लाल मोदी आदि
   नोट :- श्री जयप्रकाश नारायण जी की सेवा में बीकानेर में प्रत्यक्ष सम्पर्क।
5. **आशु कवि :-**
   स्पष्ट विचारों की भूमिका में सतत् अनेक वैचारिक कविताओं की संरचना करते रहने की रुचि।
6. **वैचारिक संघर्ष :-**
   प्रदेश में सर्वोदय प्रणीत अनेक संस्थाओं द्वारा चलाये गये वैचारिक आन्दोलनों से प्रत्यक्ष जुड़ाव।
7. **विशेष :-**
   - वर्ष 1975 में लगे आपात काल के प्रत्यक्ष विरोधस्वरूप बीकानेर में जेल तथा पुलिस द्वारा सतत् दी गई यातनाओं के फलस्वरूप जनवरी 2014 से राजस्थान से स्वतंत्र लोक सेवक सैनानी के रूप में प्रत्यक्ष एवं आर्थिक सम्मान प्राप्त हो रहा है। पुलिस की प्रत्यक्ष यातनाओं में शारीरिक आघातों (आंखों और पैरों से) से प्रभावित।
   - अ. भा. सर्व सेवा संघ द्वारा दिनांक 23-25 मार्च, 2017 को मोतीहारी (गांधीधाम, बिहार) में आयोजित चम्पारन शताब्दी समिति एवं संघ अधिवेशन के अवसर पर सम्मान प्राप्त।

**गाँधी दर्शन से जुड़े आदर्शों से लगभग प्रत्यक्ष जुड़ाव हेतु समर्पित जीवन**
*अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन:।*
*सर्व धर्म समानत्व, स्वदेशी, अस्पर्श भावना, विनम्र व्रत से यह एकादशव्य:।।*


## परामर्श मण्डल
## न्यायिक ज्वाला

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जे.पी. बंसल | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 2. | श्री दामोदर मिश्रा | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 3. | श्री वी.के. अग्रवाल | सेवा निवृत्त न्यायाधीश |
| 4. | श्री डॉ.पी.एन. रछोया | सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस |
| 5. | डा. मोहिनी शर्मा | एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज |
| 6. | श्री रामदयाल खंडेलवाल | संस्थानिक प्रतिनिधि |
| 7. | श्री विष्णुकांत शर्मा | एडवोकेट |



**स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.-3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। Website : www.nyayikjwala.org.**
**ई-मेल आई डी :** sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. **पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।**